

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकंला जिला शाहपुरा (राज.)

प्रकरण संख्या — 38/2024

पीठारसीन अधिकारी — राजकेश गीना (आर.ए.एस.)

उगवान

- 1 महावीर प्रसाद पिता रामलाल नायक उम्र वयस्क निवासी भैरु खेडा प्रथम आंगूचा तहसील हूरडा जिला, भीलवाडा
 - 2 अण्डी देवी पत्नी रामलाल नायक उम्र वयस्क निवासी भैरु खेडा प्रथम आंगूचा तहसील हूरडा जिला, भीलवाडा
- (प्रार्थीगण)

बनाम

- 1 प्रभु पिता राजू गुर्जर उम्र वयस्क निवासी ईटडिया तहसील फूलियाकलां जिला, शाहपुरा
- 2 कैलाश पिता गोदू गुर्जर उम्र वयस्क निवासी ईटडिया तहसील फूलियाकलां जिला, शाहपुरा
- 3 घीसा पिता मूला लुहार उम्र वयस्क निवासी ईटडिया तहसील फूलियाकलां जिला, शाहपुरा
- 4 रघुवीर पिता जगदीश नायक उम्र वयस्क निवासी ईटडिया तहसील फूलियाकलां जिला, शाहपुरा
- 5 कालू पिता छोगा बलाई उम्र वयस्क निवासी ईटडिया तहसील फूलियाकलां जिला, शाहपुरा
- 6 गोपाल पिता देवी नायक उम्र वयस्क निवासी ईटडिया तहसील फूलियाकलां जिला, शाहपुरा
- 7 हरनाथ पिता हजारी नायक उम्र वयस्क निवासी बागथला तहसील फूलियाकलां जिला, शाहपुरा
- 8 जगदीश पिता सुवा नायक उम्र वयस्क निवासी बागथला तहसील फूलियाकलां जिला, शाहपुरा
- 9 राम्पत सिंह पिता सुजान सिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी बागथला तहसील फूलियाकलां जिला, शाहपुरा
- 10 भूमिधारी तहसीलदार फूलियाकलां जिला शाहपुरा

———— (अप्रार्थीगण)

उपस्थित—

प्रार्थी अधिवक्ता— श्री विजय पाराशर

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128, रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढी आराजीयात

निर्णय

दिनांक — 16.05.2024


प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 इस न्यायालय मे दिनांक 19.02.2024 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम ईटडिया पटवार मण्डल ईटडिया भू.अ.नि. अरवड तहसील फूलियाकंला मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 550 के आ.न. 1499 रकबा 0.51 हैक्टर एवं खतौनी संख्या 540 के आराजी संख्या 1500 रकबा 1.77 हैक्टर एवं ग्राम बागथला पटवार मण्डल ईटडिया तहसील फूलियाकलां स्थित खतौनी संख्या 2 के आराजी संख्या 624 रकबा 1.00 हैक्टर भूमि स्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसीगण/सहखातेदारान हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिससे कि प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। प्रार्थनापत्र रवीकार किया जाकर पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय मे दिनांक 22.02.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगणों को जारी नोटिस बाद तामील रिकार्ड पर उपलब्ध है। किन्तु सूचित होने के उपरान्त भी विपक्षीगण नियत सुनवाई पर वास्ते अपना पक्ष रखने, हाजिर नही होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण को सुना गया। प्रस्तुत वहरा प्रार्थनापत्र पर गौर किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि है और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का हकदार है। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्याय हित मे स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरुद्ध विपक्षीगण रवीकार किया जाकर वाके ग्राम ईटडिया पटवार मण्डल ईटडिया भू.अ.नि. अरवड तहसील फूलियाकंला मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 550 के आ.न. 1499 रकबा 0.51 हैक्टर एवं खतौनी संख्या 540 के आराजी संख्या 1500 रकबा 1.77 हैक्टर एवं ग्राम बागथला पटवार मण्डल ईटडिया तहसील फूलियाकलां स्थित खतौनी संख्या 2 के आराजी संख्या 624 रकबा 1.00 हैक्टर भूमि की पत्थरगढी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक अरवड को नियमानुसार फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व रागी पडौसियान को उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेगे। मौके पर विवाद होने, किसी अन्य न्यायालय से आराजीयात पर स्वगन होने की दशा मे तथा मौके पर खड़ी फराल होने की स्थिति मे पत्थरगढी नही की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी मे ही पत्थरगढी की जावे। मुरतकीन विन्दू को आधार मानकर पत्थरगढी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार फूलियाकंला को भिजवाई जावे। खर्च फरीकेंन अपना अपना वहन करे। पत्रावली फराल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 16.05.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।


(राजकेश गीना)
उपखण्ड अधिकारी
फूलियाकंला जिला शाहपुरा